8

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 25 अक्टूबर, 2017

शुद्धिपत्र

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 526/2017/9 (120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, में सारणी में, क्रम संख्या 2 में, स्तम्भ (2) में,-

(2)
"किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।",

के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाए-

(2)
"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं। स्पष्टीकरण:- "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं भी सम्मिलित हैं।"

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

DT:/GST Notification/Corrigendum to Noti. No 526(09-10-2017)

6718
25/10/2017

सं0 840/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4—अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5—एन0आई0सी0

6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

DT:/GST Notification/Corrigendum to Notf. No. 526(09-10-2017)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.840/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 25 October, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.840/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 25 October, 2017

CORRIGENDUM

In the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017dated 29th June, 2017, in the Table, against serial number 2, in column (2), for -

(2)
"Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly, to a business entity.",

read as follows-

(2)
"Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly. *Explanation.*- "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and also includes representational services before any court, tribunal or authority.".

(Radha Raturi)
Principal Secretary

DT:/GST Notification/Corrigendum to Notf. No. 526(09-10-2017)